पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), *E-mail ID- academicprsu2@gmail.com*

क्रमांक : 679/अका./2020 रायपुर, दिनांक: 31/10/2020

।। अधिसूचना ।।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 की बिंदु क्रमांक 11 पर लिए गए निर्णयानुसार "**छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 74 दिनांक 05 मार्च, 2019 एवं उप संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) से प्राप्त पत्र क्रमांक 486/42/आउशि/सम/2020, दिनांक 02.07.2020 के परिपालन में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019 में संलग्न धारा 14 का 2, धारा 36 का 3, धारा 38 का 4 में हुए संशोधन की सूचना ग्रहण की गई।**"

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 को (क्र. 22 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ

1. (1) ये अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 14 का संशोधन

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 14 में, उप–धारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"6. कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, रूग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य या राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का कोई अधिकारी कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि कोई कुलपति जी ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 13 की उप–धारा (1) या उप–धारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण या पुनः पद ग्रहण नहीं कर लेता।

परन्तु इस उप–धारा में अनुध्यात व्यवस्था छः मास से अधिक की कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी।"

3. मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :— धारा 36 का संशोधन

"36. परिनियम किस प्रकार बनाये जायेंगे :— (1) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा बनाया जायेगा;

(2) कार्यपरिषद्, इस धारा में इसमें इसके प्श्चात् उपबंधित की गई रीति में समय–समय पर, कोई परिनियम बना सकेगी, संशोधन कर सकेगी, अथवा निरसित कर सकेगी।

(3) विद्या परिषद्: कार्य परिषद् को किसी नवीन परिनियम का अथवा कार्य परिषद् द्वारा पारित किन्हीं विद्यमान परिनियम में संशोधन अथवा निरसन करने का प्रारूप प्रस्तावित कर सकेगी तथा ऐसे प्रारूप (प्रस्ताव) पर कार्यपरिषद् द्वारा आगामी बैठ़क में विचार किया जायेगा।

परंतु यह कि शिक्षा परिषद्, किन्हीं ऐसे परिनियम के या किसी परिनियम में किसी ऐसे संशोधन के जो विश्वविद्यालय के किसी विद्यामान प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रस्ताव पर अपनी राय प्रकट करने का अवसर नहीं दे दिया गया हो, और इस प्रकार प्रकट की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् द्वारा उप–धारा (3) के अधीन प्रस्तावित प्रारूप पर विचार कर सकेगी या उसे अस्वीकृत कर सकेगी अथवा संशोधन सहित या संशोधन के बिना,विद्या परिषद् को पुनर्विचारार्थ लौटा सकेगी।

(5) (क) कार्यपरिषद् का कोई भी सदस्य, किसी परिनियम का प्रारूप कार्यपरिषद् को प्रस्तावित कर सकेंगे एवं कार्यपरिषद्, ऐसे प्रारूप को या तो स्वीकृत कर सकेगी या अस्वीकृत कर सकेगी, यदि प्रारूप विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर न आने वाले किसी विषय से संबंधित हो।

(ख) यदि ऐसा प्रारूप विद्या परिषद् के कार्यक्षेत्र के भीतर के विषय से संबंधित हो, तो कार्यपरिषद के विचारार्थ संदर्भित करेगी, जो –

(एक) प्रारूप यदि उसकी असहमति हो तो, अपनी असहमति से कार्यपरिषद् को अवगत करायेगी और तब उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसे कार्यपरिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है.

(दो) अथवा प्रारूप को कार्यपरिषद् की ऐसे रूप में, जैसा कि विद्या परिषद् स्वीकृत करे, प्रस्तुत करेगी तथा कार्यपरिषद् या तो संशोधन सहित अथवा संशोधन के

बिना, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकेगी।

(6) कार्यपरिषद् द्वारा पारित परिनियम, राज्य शासन को भेजा जायेगा, जो उसे अपनी अनुशंसा सहित कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। कुलाधिपति उस पर अपनी सहमति दे सकते हैं या सहमति रोक सकते हैं अथवा पुनर्विचार के लिये वापस कर सकते हैं।

(7) कार्यपरिषद् द्वारा पारित परिनियम की कोई वैधता नहीं होगी, यदि कुलाधिपति द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान नहीं की गई हो।"

4. मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात– धारा 38 का संशोधन,

"38. अध्यादेश किस प्रकार बनाये जायेंगे :– (1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे।

(2) कार्यपरिषद् द्वारा निर्मित अध्यादेश राज्य शासन को भेजा जायेगा, जो उसे अपनी अनुशंसा सहित कुलाधिपति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा। कुलाधिपति अध्यादेश को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकते हैं।

(3) कार्यपरिषद् द्वारा निर्मित अध्यादेश, कुलाधिपति द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से प्रवृत्त होगा।"

आदेशानुसार,

27.10.20

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 680 /अका./2020 रायपुर, दिनांक : 31/10/2020

प्रतिलिपि :

1. माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक–सी.–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
5 प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
6. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
7. उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

22.10.20

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)